Land Owner

VAIBHAV SHANTI
Colonizer & Developer

ABP
''हमारा प्रयास, सबका आवास''

आवेदन क्रमांक : 025485

" मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 "

RERA REG. No. RAJ/P/2017/103

वसुन्धरा कुटुम्ब

JDA APPROVED

1 & 2 BHK FLATS

RERA APPROVED CERTIFIED

मुल्यः ₹ 250/-

Project Address :
Opp. Indian Oil Petrol Pump
Nr. Chokhi Dhani, Tonk Road, Jaipur

"हमारा प्रयास, सबका आवास"

विशेष सुविधाऐं

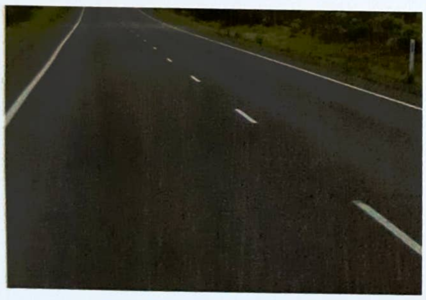

चौड़ी सड़के

पार्क

जनरल स्टोर

सिक्योरिटी

STP प्लांट

सामुदायिक भवन

* Photograph shown may be differ to original.

" मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 "

RERA REG. No. RAJ/P/2017/103

वसुन्धरा कुटुम्ब

JDA APPROVED

1 & 2 BHK FLATS

RERA APPROVED CERTIFIED

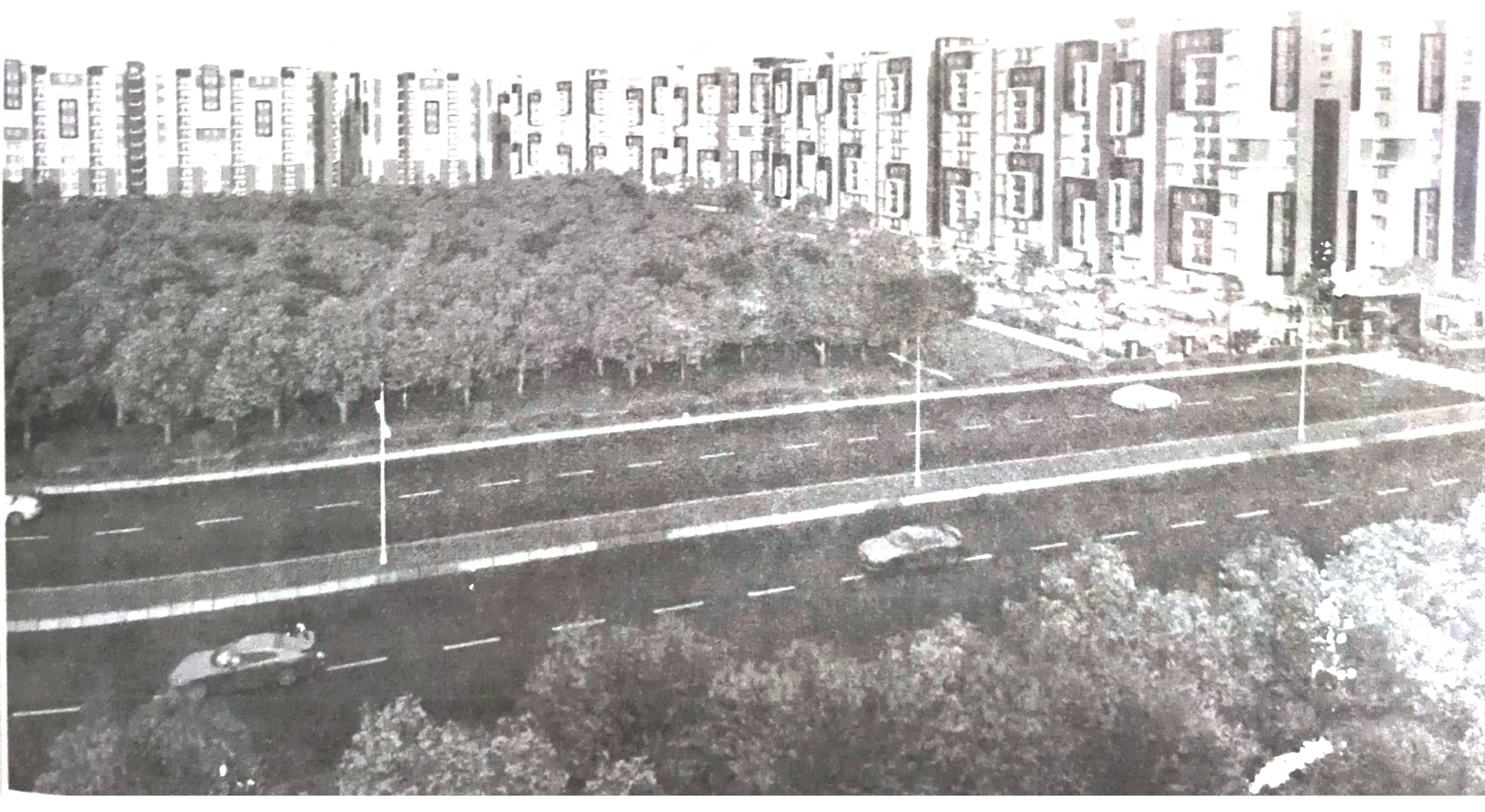

!! श्री गणेशाय नमः !!

पंजीयन योजना

आर्थिक दृष्टि से कमजोर
व
अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के लिए

मुख्य बिन्दु :-

1. जिस आय वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार बुकिंग की पूर्ण राशि का चैक/डी.डी. जो **ABP VAIBHAV INFRA PROJECT** के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मय चालान की प्रति संलग्न कर दिया गया है। ☐
2. आय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न कर दिया है। ☐
3. आवेदन पत्र पूर्ण भर दिया है जो भी सूचना मांगी गयी है सभी पूर्ण कर दी है। ☐
4. प्रत्येक की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पेन कार्ड इत्यादि की प्रति लगा दी गई है। ☐
5. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अंतर्गत है। अतः सभी नियम व शर्ते उक्त योजना के लागू होंगे। ☐
6. 31 मार्च 2022 से केन्द्र सरकार द्वारा देय सब्सिडी स्थगित कि जा चुकी है। भविष्य मे अगर कोई स्कीम शुरु होती है तो पात्रता शर्तो के आधार पर उसका लाभ आवेदन कर्ता को मिल सकेगा। ☐

फार्म मिलने व जमा कराने का स्थान

201-202, Geeta Enclave, Vinoba Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 001 (Raj.)

Contect :- 809-41-511-51, 0141-4917462

आवेदक की योग्यता

1. आवेदक की आयु आवेदन भरने की तिथि को 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा पेनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

3. आवेदन पत्र आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

4. आवेदन पत्र मे किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके उपर काट कर दुबारा लिखना निषेधित है अथवा आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।

5. आवेदकों को यदि समूह मे (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धतानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।

6. वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता का प्रमाणित आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर वेतनभोगी/स्व–रोजगार आवेदकों को तहसीलदार/मुनिसिपल ऑफिसर/एस.डी.ओ/आई.टी.आर. अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व–रोजगार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. वार्षिक आय (पति/पत्नि/आश्रितों की आय) के आधार पर बुकिंग के लिए पात्रता एवं आय नीचे दी गयी वर्ग तालिका में दर्शाई गई है।

* बुकिंग तथा आवंटन एक साथ होगा।

आवंटन की शर्ते

1. आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम्पनी को आवास कि बुकिंग निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
2. आवेदक द्वारा बुकिंग की राशी जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन किया जायेगा।
3. आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना कम्पनी के पते पर देवें। पतें में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों, के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। कम्पनी द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में कम्पनी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
4. आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर कम्पनी के संबधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें।
5. आवास कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं द्वारा किया जायेगा।
6. बुकिंग कम्पनी द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप–बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा कम्पनी अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी और ये आवेदकों के लिए पूर्णयता लागू होंगे।
7. बुकिंग राशि चैक/डी.डी. द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नकद में लेन देन नहीं होगा और कम्पनी द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को अधिकृत नहीं करती है कि नगद लेनदेन करें अर्थात निर्धारित मूल्य के अलावा कोई प्रीमियम राशि किसी को न दें।

8. फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट मे निवास अनिवार्य होगा। अन्यथा कम्पनी को ऐसे फ्लैट्स का कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
9. आवेदकों की वरियता एवं आवंटन सूची कम्पनी के द्वारा जारी की जायेगी।
10. जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
11. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत है। अतः राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधान लागू होगे।

नियम व शर्ते

1. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाऐं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का बुकिंग/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा कम्पनी के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
2. आवासीय इकाई से संबधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों को एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सोसायटी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् आवंटन के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के लिए सोसाइटी द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसाइटी के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी भविष्य में सोसाइटी द्वारा रख–रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जायेगी। रख–रखाव का खर्चा सोसाइटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।

विधिक संस्था द्वारा मांगे जाने पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो की पालना करनी होगी, साथ ही सोसाइटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

4. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसकी बुकिंग तुरन्त रद्द कर दी जायेगी। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी कम्पनी ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगी। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

5. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नाकिंत फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य कम्पनी द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगाः–

- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
- सेनेटरी फिटिंग
- यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

6. कम्पनी अपनी योजनाओं आवासो मे परिवर्तन कर सकती है। जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितयां उत्पन्न होने पर अथवा किन्ही अपरिहार्य कारणों से कम्पनी योजना में प्रस्तावित स्थान में फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी तथा इस विषय पर आवंटी का कोई भी वाद स्वीकार नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/स्पेसिफिकेशन आदि मे/साइज परिवर्तन किये जाने का कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा।

7. नियमानुसार देय शहरी जमाबंदी (Lease Money) वर्तमान आरक्षित दर से आवंटी को जमा करानी होगी।

8. इस योजना में आवंटी को स्वयं सम्पति की परिस्थितयों से पूर्णतः परिचित होना चाहिए और बाद में किसी पर आगामी स्टेज सम्पति की परिस्थितयों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

9. बुकिंग की राशि बैंक ड्राफ्ट/ चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/ चैक का पूर्ण विवरण अर्थात संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/ चैक कम्पनी के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन–पत्र संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा कम्पनी के कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

10. कम्पनी द्वारा समय–समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व–हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हे नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

11. इस योजना में आवंटी को स्वयं सम्पति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिए और बाद में किसी आगामी स्टेज पर सम्पति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

12. राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Committee) द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय मान्य होगे।

13. कम्पनी से फ्लैट लेने वाले आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते है। इस बाबत् कम्पनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जावेंगे।

14. ऋण बैंक की शर्तो व आवेदक की पात्रता के अनुसार अधिकतम 90% तक मिल सकता है।

रिफण्ड

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात यदि कोई आवेदक योजना के अर्न्तगत बुकिंग राशि लौटाने का निवेदन करता है, तो उसे जमा राशि में से 20% कटौती करते हुए राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। यदि आवेदन राशी पूरी प्राप्त नही हुई है तो भी वांछित बुकिंग राशी का 20% काटकर भुगतान किया जायेगा ।
2. यदि आवेदक का वित्तीय संस्थान से ऋण जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो जो राशि आवेदक द्वारा कम्पनी को प्राप्त हुई है उसमें से वित्तीय संस्थान का ऋणमुक्त पत्र (For Closure Letter) की राशि वित्तीय संस्थान को कम्पनी द्वारा लौटा दी जाएगी। शेष बची राशी मे से सम्पूर्ण बुकिंग की राशि जब्त की जा सकेगी।
3. यदि आवंटी द्वारा पूर्व ग्रहण राशि अथवा अन्य राशि जमा नहीं करवाई गई एवं आवंटन निरस्तनहीं किया गया हो तो देय राशि पर विलम्ब अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेते हुए स्वीकार की जायेगी। ऐसा कम्पनी द्वारा केवल उसी स्थिति में किया जावेगा जब आवास उपलब्ध हो।
4. यदि आवेदक का आवंटन उसकी ओर से किसी कमी के कारण नहीं हुआ है जो जमा राशि में से 20 प्रतिशत राशि कटौती करते हुए शेष राशि का रिफण्ड गलत तथ्य पेश करने के पश्चात कर दिया जायेगा। इस अवधि का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. प्रस्तावित योजना यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी बुकिंग राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
6. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात आवास की देय बकाया राशि जमा कराने आवेदनकर्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के हेतु पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा। उक्त मांग राशि स्वयं द्वारा या वित्तिय संस्थाओ द्वारा स्वीकृत ऋण के माध्यम से 30 दिवस में जमा करानी होगी । 30 दिवस में राशि नहीं जमा कराने पर स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
7. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से कम्पनी द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है तो आवेदक की जमा राशि लौटा दी जायेगी। इस अवधि का कम्पनी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

शपथ–पत्र

समस्त आवेदको के लिए

मैं .... पुत्र / पत्नि श्री ....

जाति ....हाल निवास ....तहसील...जिला...

में निवास करता / करती हूँ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत **ABP VAIBHAV INFRA PROJECT** की आवासीय परियोजना को भली–भांति जानकर, पढ़कर मेरे द्वारा, आवेदन पत्र.............आय वर्ग आवास जी + 9 बहुमंजिला आवास हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि :–

1. पारदर्शिता आधार पर कम्पनी .... द्वारा निकाली गई लॉटरी में किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।
2. मेरे / हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जावेगा।
3. मेरे / हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि सही समय पर मेरे द्वारा अदा अथवा / हमारे बैंक खाता में सुनिश्चित कर ली जावेगी।
4. मेरे / हमारे द्वारा आवास आवंटन के मद में दी गई स्वयं के खाते में जमा करवाई गई राशि का उपयोग संबधित बैंक शाखा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण / संबधित नगर विकास न्यास / नगर पालिका, बैंक विकासकर्ता एवं आवास विकास लि. के मध्य हुए एस्क्रो समझौता पत्र की शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, इसके लिए बैंक द्वारा मेरे / हमारे से पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
5. मेरे / हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध मेरे / हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन / आरक्षण / मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है,तो उससे हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं / हम यह स्वीकार करते है कि मेरे / हमारे द्वारा कुल अर्जित वार्षिक आय की 30 से 40 प्रतिशत तक की राशि बैंक ऋण किस्त से अधिक नहीं होगी एवं मेरे / हमारे द्वारा समस्त राशि की समय पर व्यवस्था कर ली जावेगी।
7. यह कि मेरे पंजीकरण, 2016 मैं .... आय वर्ग में आवास हेतु आवेदन–पत्र संख्या ....के द्वारा आवेदन किया है।
8. यह कि मेंरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बंधित योजना के नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे फ्लैट आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुक्षे फ्लैट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
9. यह कि उक्त आवेदन–पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् कम्पनी द्वारा समय–समय पर आवास से सम्बंधित मांग, मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है, तो कम्पनी बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने की अधिकारी होगी।
10. मैं / हम स्वीकार करते है कि चूंकि प्रस्तावित आवासीय योजना निजी विकासकर्ता की स्वयं की भूमि को निःशुल्क समर्पित कर, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सस्ती दरों में आवास आवंटित किये जाते है, जिसके लिए आवास विकास लि. जयपुर विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय व विकासकर्ता एवं बैंक के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित होना है, चूंकि इस समझौता पत्र के तहत विकासकर्ता को दी जाने वाली आवास निर्माण की लागत समझौता शर्तों के अनुसार निश्चित समयावधि में दी जानी है, जो कि मेरे / हमारे संबधित बैंक शाखा खाता से ली जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय के माध्यम से विकासकर्ता को अदा की जावेगी, इस पूर्ण प्रक्रिया में मेरे / हमारे बैंक खाता को संबधित बैंक द्वारा एस्क्रो एग्रीमेन्ट की शर्तों के अधीन उपयोग में लाये जाने पर मुझे / हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और ना ही संबधित बैंक से किसी प्रकार के अतिरिक्त क्लेम की मांग की जावेगी।
11. अगर आवश्यकतानुसार संबधित बैंक शाखा द्वारा मेरे / हमारे लिखित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित शपथ पत्र को एस्क्रो एग्रीमेन्ट का भाग बनाया जाता है तो मुझे / हमें इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

(नोटराइज्ड सत्यापन)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(शपथ पत्र 50 / – रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक / तहसीलदार कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

समस्त आवेदकों के लिए

शपथ–पत्र

समस्त आवेदको के लिए

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री ....

सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :–

1 मैं भारत का/की नागरिक हूँ।

2. मेरे पास स्वयं या पति/पत्नि के नाम से शहर में मण्डल नगरपालिका, नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।

3. यह मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं **ABP VAIBHAV INFRA PROJECT** द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो कम्पनी बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आंवटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहुंगा।

4. मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित वयस्क अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगरपालिका अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिए सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है। तथा ना ही कोई बात कम्पनी के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी।

6. यह कि मेरे द्वारा............... स्थिति कम्पनी की .... योजना में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लुंगा।

हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा

मैं ....पुत्र/पत्नी श्री..

जाति .... निवास .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त

पैरा 1 से 6 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैनें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

(नोटराइज्ड सत्यापन)

शपथ–गृहिता
हस्ताक्षर /निशानी अगूंठा

(शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/ तहसीलदार कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

समस्त आवेदकों के लिए

शपथ–पत्र

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ– पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री..

आयु .... वर्ग/जाति .... निवासी..

(अनुसूचित जाति / जनजाति यदि है अंकित) सशपत्र बयान करता/करती हूँ :–

कि हमारी मासिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार है :

1. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग, दुकान या अन्य स्त्रोतों से ....रू. थी
2. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार में भागीदारी उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग अन्य स्त्रोतों से

   वार्षिक आय ....रू. है।
3. कि मासिक आय में हमारी कुल आमदनी .... रू. है।

शपथ–गृहिता

हस्ताक्षर /निशानी अगूंठा

सत्यनिष्ठा

मैं ....पुत्र/पत्नी श्री..

जाति .... निवास .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त

पैरा 1 से 6 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैनें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

(नोटराइज्ड सत्यापन)

शपथ .हेता

हस्ताक्षर /निशा . अगूंठा

(शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/ तहसीलदार कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

एस.डी.ओ./तहसीलदार सत्यापि त

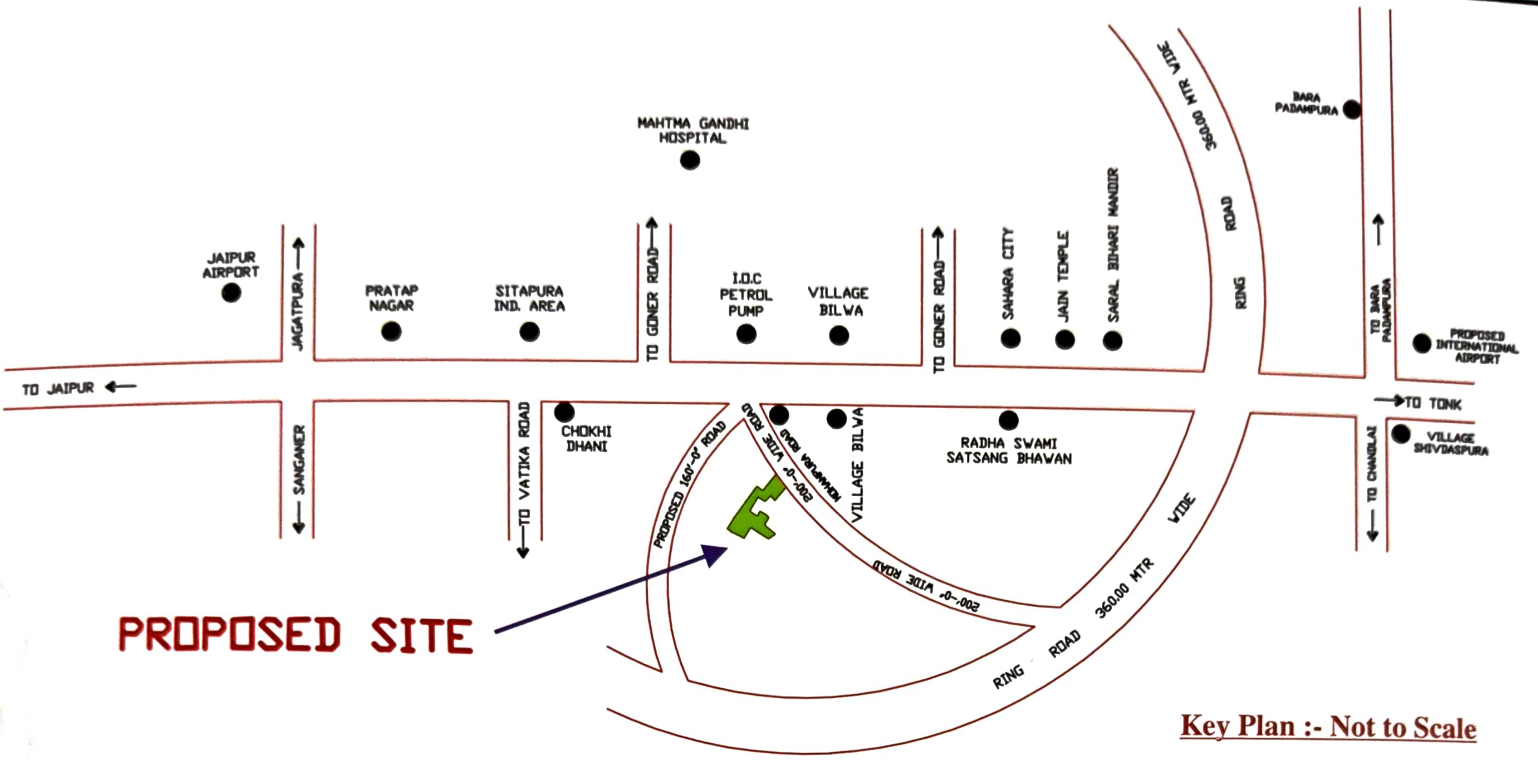

Key Plan :- Not to Scale

1 & 2 BHK FLATS

Floor Plan

EWS 1 BHK

LIG 2 BHK

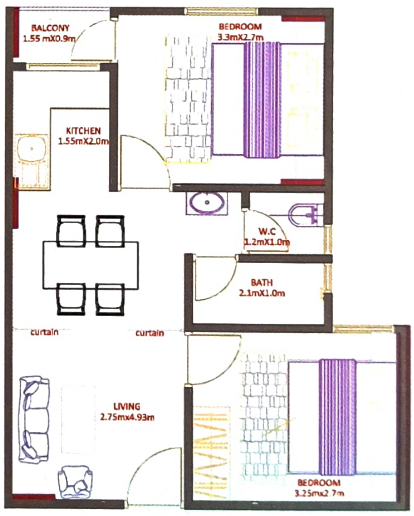

ABP

"हमारा प्रयास, सबका आवास"

VAIBHAV SHANTI
Colonizer & Developer

वसुन्धरा कुटुम्ब

1 & 2 BHK FLATS

ABP

"हमारा प्रयास, सबका आवास"

201-202, Geeta Enclave, Vinoba Marg, C-Scheme, Jaipur (Raj.)
E-mail : abpinfrahousing@gmail.com Contact : 8094-151-151